

५५ १२१२४
२०१५



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16AD 511774


रामेश्वर प्रसाद ६६२०३१

१०१ नं. ६०११ न्यायिक न्यायिक न्यायिक न्यायिक

रामेश्वर

रामेश्वर प्रसाद

भारतीय न्यायिक न्यायिक न्यायिक न्यायिक





16 2011
T.O.

- 5. प्रतिफल की धनराशि : 35,31,500/- रुपये में
- 6. भागिदारी : 95,31,000/- रु.
- 7. कुल देय स्टाम्प : 8,67,200/- रु. वसुधा इकराएनामा देय स्टाम्प - 2,82,600/- रु.
मुजरा स्टाम्प - 1,41,200/- रु. वसुधा वेनामा देय स्टाम्प - 5,28,000/- रु.

सुरेश चंद्र

(Signature)
D. P. Singh

अजित सिंह

(Signature) अजित सिंह

सुरेश चंद्र

(Signature) D. P. Singh

अजित सिंह

(Signature) अजित सिंह

बचत बैंक
बचत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 289371

10/11/11

(3)
8. उपरत क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट - 60,00,000/-रुपया प्रति हेक्टेअर,
जो पेज नं. 21 प्रमाणक 7 पर दर्ज है।
कार्य क्षेत्र उपनिवेशक प्रथम मधुरा।

M/V *Sufedhyar*

सुरेश चन्द



हजिरी सिंह



~~हजिरी~~



हजिरी सिंह



सुरेश चन्द



हजिरी सिंह



~~हजिरी~~



हजिरी सिंह



10/11/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



प्रदेश UTTAR PRADESH

B 289372

(4)

प्रचन पत्र की संख्या : (3)

विक्रयानाम का विवरण

नाम : सुरेशचन्द्र व महेशचन्द्र व दिनेशचन्द्र पुत्रगण १९० श्री कालचन्द्र निवासीगण
धाम बाकलपुर लखीसैत व जिला गधुच।

सुरेश चंद्र






दिनेश चंद्र



दिनेश चंद्र




सुरेश चंद्र






दिनेश चंद्र



दिनेश चंद्र



बकारी बाजार
एच-१०००
गधुच



UTTAR PRADESH

(5)

18/05/2011
T.O.

द्वितीय पक्ष की संख्या : (3)

क्रमांक का विवरण

नाम : प्रीतन सिंह व हरेंद्र सिंह व विपिन सिंह पुत्रगण श्री महाराज सिंह निवासीगण
ग्राम पाटलीगढ़ तहसील व जिला गणपुर।

सुरेश चंद्र

[Signature]
[Signature]

प्रदीप सिंह

[Signature] *[Signature]*

सुरेश चंद्र

[Signature] *[Signature]*

प्रदीप सिंह

[Signature] *[Signature]*

भारतीय न्यायिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

B 289374

प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)
इस कि सुदेशचन्द व चंद्रमोहन व दिनेशचन्द पुत्रगण सखी श्री सत्यम-द
विद्यारथीगण राम रामपुर तहसील व जिला मथुरा, दिनेशचन्द प्रथम पक्ष व प्रीतम
सिंह व हरनन्द सिंह व विदित सिंह पुत्रगण श्री महाराज सिंह निवासीगण राम
पालीकुंवा तहसील व जिला मथुरा, द्वितीय पक्ष, पक्षगण इरू-लेखपत्र संख्या
के हैं। जो कि आराजी संकल्पनीय, भूमिधरी खता सं. 99 खसरा नं. 978 रकबा 1.832
हेक्टेयर व खसरा नंबर 979 रकबा 1.545 हेक्टेयर, कुल दो खिस्त कुल रकबा 3.177

25 2011

सुरेशचन्द्र



दिनेशचन्द्र

दिनेशचन्द्र



सुरेशचन्द्र

दिनेशचन्द्र

दिनेशचन्द्र



REGISTERED AT
MATHURA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 289375

(7)
 हेपटेअर लगानी 52.35 रुपया सालाना स्थित मौजा गुनेखरा सहस्रौल व जिला मधुवा, सम्पूर्ण अंश मिल्कियत विक्रेता प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी थी, जिसमें से पूर्व में दो बिलों के दिनांक 15.06.2000 व 29.03.2010 के द्वारा 1/2 भाग (पानि 1.5885 हेपटेअर) विक्रय करने से बाग शेष 1/2 भाग यानि एकठा 1.5885 हेपटेअर सम्पूर्ण अंश आराजी प्रथम पक्ष विक्रेतागण की है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेतागण को ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेतागण ही बर्देखिया मासिक, काबिज

सुरेश चन्		
खिनासिह		
सुरेश चन्		
खिनासिह		



प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

य दखील चले आते हे तथा प्रथम पक्ष विक्रेतागण का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात खसरा खतोनी में दर्ज है। विधाय प्रथम पक्ष विक्रेतागण के उक्त आराजी का अन्ध कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना कबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधका नहीं है और न किसी सिटी में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई

श्री शंकर

[Signature]



श्री नसिद

[Signature]

श्री नसिद



श्री शंकर

[Signature]



श्री नसिद

[Signature]

श्री नसिद



द्वारा संकलित
एन-वि-एच प्रकाश
कलकत्ता





प्रदेश UTTAR PRADESH

8 289363

(9)

व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की वास्तव कोई अन्य इकपारगना किसी के साथ तय किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेतागण की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काशत से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेतागण प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार

सुरेशचंद्र



[Handwritten signature]



सुरेशचंद्र

[Handwritten signature]

सुरेशचंद्र



सुरेशचंद्र

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सुरेशचंद्र

[Handwritten signature]

सुरेशचंद्र





प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने अपनी उक्त हिस्सा आराजी 1/2 भाग खानि रकमा 15815 रुपये अंश यो भिन्न कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कर्ता जो निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर प्राप्त करने को तैयार है, इस कीमत में देय देने में प्रथम पक्ष विक्रेतागण का सदासर लाभ है। उक्त आराजी का

सुरेश चन्द्र

[Handwritten signature]

रविशंकर सिंह

[Handwritten signature]

सुरेश चन्द्र

[Handwritten signature]

रविशंकर सिंह

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक
बंद-विपणन प्रबंध
बहुस



प्रदेश UTTAR PRADESH

B 289365

र मुद्रा
06 2011
T.O.
Mura

(11)

विशेष करने की शक्ति प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष की पक्ष में एक किता इकरारनामा मुहायदावे दिनांक 17.05.2008ई0 पिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबंध म 000 में जारी नंबर 1 जिल्ला संख्या 498: की पृष्ठ संख्या 313-354 पर क्रमांक 4940 पर हुई है. सम्पूर्ण अंश रकमा 3.177 हेक्टर का तय किया था, जिसमें से 1/2 भाग का बेनामा द्वितीय पक्ष के हक में उक्त दिनांक को किए जा चुके हैं, जिनमें नियमानुसार स्टाम्प मुजरा किया जा चुका है। अब शेष 1/2 भाग रकमा 1.5085 हेक्टर का

सुरेश चन्द्र

(Signature)



प्रदीप सिंह

(Signature)

विजय सिंह



सुरेश चन्द्र

(Signature)



प्रदीप सिंह

(Signature)

प्रदीप सिंह



संख्या 498/2008
दिनांक 17/05/08



प्रदेश UTTAR PRADESH

B 28936

2011
T. U.

(12)

बैनामा की द्वितीय पक्षगण को नाम किया जा रहा है। इसलिए इकरारनामा दिनांक 17.05.2008ई0 पर दिए गए स्टाम्प में से 1/2 स्टाम्प 1,41,200/-रु. का स्टाम्प इस प्रलेख के साथ नियमानुसार समाविष्ट किया जा रहा है। अतः उक्त हिस्सा आराजी 1/2 भाग यानि रकमा 1,56,65 हेक्टेअर सम्पूर्ण अंश जिसको संलग्न बक्का मानचित्र में एक साल को दर्शाया गया है, को सम्पन्न एवं हक्क प अधिकारी सहित जो प्रथम पक्ष विभागागण को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को दिया छोड़े किरा

सुरेश च-५

[Signature]



उज्ज्वल सिंह

[Signature]

उज्ज्वल सिंह



सुरेश च-५

[Signature]



उज्ज्वल सिंह

[Signature]

उज्ज्वल सिंह



हमारी धर्मितागण
एक-दिनांक 17.05.08
बदल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

B 289367

(13)

श्री राम प्र सिखा व सक्का के समता सर्विस प्रोटेक्ट व सर्विस के व अगस्त 1988
समुदाय व अकिजलता विधि मधुसी परतजी अगरे संख्या 35,21,500 / - रु. (पच्चीस लाख
इकतीस हजार बीस बी रुपये) कि जिलाडे अगरे 17,65,750 / - रु. (सतरह लाख
पैंसठ हजार सात बी पचास रुपये) होते हैं, मगरत प्रीतम सिंह व हरेण्ड सिंह व
विपिन सिंह पुत्रनरा श्री महाराज सिंह निवासीगुम डाम पाठीदूरा लहरील
व जिला मधुरा, केसगण द्वितीय पक्ष के हल में शर्त दी और बिडी कर दी और

6201

सुरेश चन्द

[Signature]



हिरण सिंह

हरबल हिरण सिंह



सुरेश चन्द

[Signature]



हिरण सिंह

हरबल हिरण सिंह





B 289368

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

कीमत के कुल रूपयों में से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से 7,06,300/- रु. वक्त इकरारनामा दिनांक 17.05.2008 प्रलेख संख्या 4940 द्वारा प्राप्त किए व शेष 26,25,200/- रु. नगद वक्त रजिस्ट्री वैनामा के प्राप्त कर लिए और कब्जा व दखल बेची गयी आराजी रकमा 1,50,000 हैफटेअर सम्पूर्ण अंश पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी

सुरेश च-६



डिप्टिनालिह



सुरेश च-४



डिप्टिनालिह



[Signature]



देवेंद्र प्रसाद



डिप्टिनालिह



[Signature]



देवेंद्र प्रसाद



डिप्टिनालिह



भारतीय न्यायिक प्रणाली
उत्तर प्रदेश सरकार
दिल्ली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

B 289376

UTTAR PRADESH

(15)

उक्त आराजी के अंग से एकमात्र मसिदा व स्वाभी हो गए। यह समस्त अधिवार मसिदा, काबिजाता व इस्तान्तरण आदि प्रयोग में लाये और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो धरे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज कराये, जिसमें हम प्रथम पक्षगण अपनी सहमति देते हैं, हम प्रथम पक्षगण व हमारे वारिसगण कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अब

सुरेश चन्द

[Signature]

खिनसिंह

[Signature]

सुरेश चन्द

[Signature]

खिनसिंह

[Signature]

बनारस
15-11-2015
बदल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

B 289377

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मथुरा, मथुरा
JUNE 2011
T. O.
Mathura

(10)

बेटी गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आगन्दा भविष्य में कदापि होगा। प्रयोग द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को बाह्य जित प्रकार से भयोग करे और जो चाहे ले करे, इसमें प्रथम पक्ष विरोधागण व उसके वारिसों को कुछ राज न होगा। यदि बेटी गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा प्रयोग से निकल जाये, या

सुरेशचन्द्र

[Signature]



हनुमान सिंह

[Signature]

हनुमान सिंह



सुरेशचन्द्र

[Signature]

[Signature]



हनुमान सिंह

[Signature]

हनुमान सिंह



मथुरा
मथुरा
मथुरा



प्रदेश UTTAR PRADESH

(17)

उसकी बात कही जाएगी और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आयेगा।
 धारा 143 के अन्तर्गत यदि या देना पड़े, तो उक्त सम्पत्ति विक्रय प्रथम यह की गई
 जिम्मेदारी होगी तथा खरीदार अपना मूल्य का मुल रूपया व समस्त हर्जा-बाजी
 विक्रय प्रथम यह व उसके अधिसूचन से वसूल करने के अधिकारी होंगे। देवी मयी

सुरेश चन्दा

[Signature] *[Signature]*



कुलसिंह

[Signature]

[Signature]



सुरेश चन्दा

[Signature]


[Signature]



कुलसिंह

[Signature]

[Signature]



सदर
 सहायक
 सहायक
 सहायक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 289379

16/6/2011

(18)

आराजी विकास शुल्क बोर्ड के अन्दर स्थित है तथा सड़क व खरंजा से दूर स्थित है। विद्युत्तागमन व शैलागमन दोनों ही अनुपस्थित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है।

सुरेशचन्द्र



[Signature]



खिनासिंह



[Signature]

खिनासिंह



सुरेशचन्द्र



[Signature]

[Signature]



खिनासिंह



[Signature]

खिनासिंह



भारतीय न्यायिक बोर्ड
एन-विशेष न्याय
कलकत्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

B 289380

(19)

अतः यह वेनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थचित्त होशो-हवास में बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक त्वां सोच समझकर बिना किसी दबाव के लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख

के- यादव
निबन्धक
श-प्रथम
8/2011

28/08/2011
T.O.

सुरेश चंद्र

[Signature]

[Fingerprint]

[Fingerprint]

[Fingerprint]

जिजासिंह

[Signature] जिजासिंह

[Fingerprint]

[Fingerprint]

[Fingerprint]

सुरेश चंद्र

[Signature]

[Fingerprint]

[Fingerprint]

[Fingerprint]

जिजासिंह

[Signature]

जिजासिंह

[Fingerprint]

[Fingerprint]

[Fingerprint]

हवारी कारिका
हर-विश्वक
६६६



राज्य UTTAR PRADESH

B 289381

(20)

दोनों पक्षों के निर्देशानुसार सम्बन्ध गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर द्राफ्ट व हाईप किया गया है।

सिद्धिकरण अधिकांश के रूप

पी-के-वालय
उप-निबन्धक
मधुवा-प्रथम
20/11/11

20/11/11
T.O.

सुरेशचन्द्र



खिनिमिह



सुरेशचन्द्र



खिनिमिह



[Signature]



खिनिमिह



[Signature]



खिनिमिह



खिनिमिह



[Signature]



खिनिमिह



बकारी बालिकाशाला
उप-निबन्धक
मधुवा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

B 289382

प्रदेश UTTAR PRADESH



2011
F.T.O.

(2)

नोट : पुस्तक विनिमय सिद्ध को अपने सारे भाई प्रोत्तम सिद्ध को सरकार से सम्पत्ति उपभोग
य वेचने के अधिकार पहिलेपल मुज्यारआम मुज्यारनामा आम दिनांक 28.07.2011
जिसका निबन्धन कार्यालय उपनिवेशक प्रथम मधुरा पर भूही नंबर 4 जिल्द संख्या 201

सुरेश चन्द्र

छिन्निसिद्ध

सुरेश चन्द्र

छिन्निसिद्ध

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

दफ्तरी कार्यालय
उप-वि 2-2011
मधुरा

9 AUG 2011
पत्र संख्या 128 दिनांक 30/08/2011
पत्र संख्या 128 दिनांक 30/08/2011
पत्र संख्या 128 दिनांक 30/08/2011

श्री 311
पत्र संख्या 128
पत्र संख्या 128
पत्र संख्या 128

आज दिनांक 30/08/2011 को
पत्र संख्या 1 दिनांक 7697
पत्र संख्या 23 दिनांक 68 पर क्रमांक 13754
संलग्नक दिया गया।

संयोजक अधिकारी के हस्ताक्षर
पी. के. वादव
उप-निबंधक
मधुरा-प्रथम
30/8/2011

पत्र संख्या 128
पत्र संख्या 128
पत्र संख्या 128

पत्र संख्या 128
पत्र संख्या 128


पत्र संख्या 128
पत्र संख्या 128

नमः शिवाय आराजी मौजा गनेशारा लखवाडीक मजुरा
राज्य उच्च न्यायालय आदि निम्न न्यायालय लखवाडीक मजुरा
१११ नमः नं० १११ आदि नमः ३-१११ हेतु सम्पूर्ण अंशभेद पत्र
विक्रय कराने के लिये नमः १-५८८५ हेतु सम्पूर्ण अंश
आराजी के २०० मीटर दायरे में कृषि करी हो रहा है।

आराजी मौजा गनेशारा लखवाडीक मजुरा

नमः नं० १११
लखवाडीक मजुरा
नं० १११ आदि
नमः १-५८८५ हेतु
सम्पूर्ण अंश

सीमा मौजा गनेशारा लखवाडीक मजुरा



आराजी लीला आदि

11754

संशोधन अधिनियम १९५६

१-६-१९५६

२-६-१९५६

३-६-१९५६

४-६-१९५६

मजुरा

मजुरा

मजुरा

मजुरा

मजुरा